क्रम-संख्या—136 (क)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 31 मार्च, 1981

चैत्र 10, 1903 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 812/सत्रह-वि०-1—23-1981

लखनऊ, 31 मार्च, 1981

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मण्डी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 पर दिनांक 31 मार्च, 1981 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1981 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मण्डी समिति (कार्यकाल का विस्तार) अधिनियम, 1981

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1981)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का कार्यकाल अग्रतर बढ़ाने और अन्तिम उल्लिखित अधिनियमिति के अधीन की गयी या की गयी तात्पर्यित कार्यवाही को विधिमान्य करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मण्डी समिति (कार्यकाल का विस्तार) अधिनियम, 1981 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "31 मार्च, 1981" के स्थान पर शब्द और अंक "31 मार्च, 1982" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे और दिनांक 5 मार्च, 1981 से रखे गये समझे जायेंगे।

वैधीकरण

4—मूल अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जिला मजिस्ट्रेट या मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा किया गया या किया गया तात्पर्यित कोई कार्य, या की गयी या की गयी तात्पर्यित कोई कार्यवाही, या दिया गया या दिया गया तात्पर्यित कोई आदेश (जिसके अन्तर्गत उद्गृहीत कोई कर या प्रभारित कोई शुल्क भी है) इस प्रकार विधिमान्य, और सदैव विधिमान्य रहा, समझा जायगा मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 812(2)/XVII-V—1-23-81

Dated Lucknow, March 31, 1981

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zila Parishad Aur Mandi Samiti (Karyakal Ka Vistar) Adhiniyam, 1981 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1981) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 31, 1981:

THE UTTAR PRADESH ZILA PARISHADS AND MANDI SAMITIS (EXTENSION OF TERM) ACT, 1981

[U. P. Act No. 4 of 1981]

(As passed by the dttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to extend the life of the Uttar Pradesh Zila Parishad (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1977, and the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972, and to validate the actions taken or purporting to have been taken under the last mentioned enactment.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Zila Parishads and Mandi Samitis (Extension of Term) Act, 1981.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 15 of 1977.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1977, in sub-section (1), *for* the words and figures "31st day of March, 1981", the words and figures "31st day of March, 1982" shall be *substituted.*

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 7 of 1972.

3. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "one year", the words "two years" shall be *substituted,* and be deemed to have been *substituted* with effect from March 5, 1981.

4. Notwithstanding anything contained in the principal Act or any other law for the time being in force, anything done or purporting to have been done, or any action taken or purporting to have been taken, or any order made or purporting to have been made [(including any tax levied or fee charged)] by District Magistrate, or by any officer specified by him under clause [(c)] of sub-section [(1)] of section 2 of the principal Act shall be deemed to be and always to have been as valid as if the provisions of this Act were in force at all material times. Validation.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी०एस०डब्लू०पी०--ए०पी० 2 राजपत्र (हि०)--1-4-81-(2)-1981-2045 (मेक०)